रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 4 जून, 1984/14 ज्येष्ठ, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-4, 2 जून, 1984

क्रमांक एल०एल०आर०-डी० (6) 13/84.—हिमाचल प्रदेश भतपूर्व सैनिक निगम (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1984 (1984 का विधेयक संख्यांक 13) जैसा कि राज्यपाल द्वारा "भारत के संविधान" के अनुच्छेद के अन्तर्गत दिनांक 28-5-84 को स्वीकृत किया गया, को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अन्तर्गत

अपेक्षित इसके प्रधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 1984 का अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में प्रकाशित किया जाता है ।

वेद प्रकाश भटनागर,
सचिव ।

1984 का विधेयक संख्यांक 13.

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1984

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 (1980 का अधिनियम संख्यांक 8) का संशोधन करने और उसके अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य बनाने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1984 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 25 अगस्त, 1981 से प्रवृत्त होगा और प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

1980 का 8 2. हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(क) खण्ड (घ) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आया है, "अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक" शब्द रखे जायेंगे ; और

(ख) खण्ड (ञ) का लोप किया जाए।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में "नीति के प्रश्न" शब्दों के पश्चात् "और प्रबन्ध" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं। धारा 6 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 में,— धारा 7 का संशोधन।

(क) उप-धारा (1) में,—

(i) "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक" शब्द रखे जायेंगे ;

(ii) अर्धविराम के चिह्न "," और "प्रबन्ध निदेशक" शब्दों का लोप किया जायेगा ; और

(iii) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (ङ) रखा जायेगा, अर्थात्—

"(ङ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित पांच अन्य निदेशक, जिनमें से कम से कम तीन भूतपूर्व सैनिक होंगे।"

(ख) विद्यमान उप-धारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"(2) अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक ऐसा भूतपूर्व सैनिक होगा जो सेवाकाल में प्रथम वर्ग का पद धारण करता रहा हो। उपाध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होगा। अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक और उपाध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी और वे सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(3) उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट निदेशक सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।" ;

(ग) विद्यमान उप-धारा (4) और (5) का लोप किया जाए; और

(घ) उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (6) जोड़ी जायेगी; अर्थात् :—

"(6) बोर्ड का एक सचिव एवम् मुख्य लेखा अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी जैसी सरकार विहित करे।"

धारा 8 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में,—

(i) खण्ड (ग) के अन्त में प्रकट होने वाले अर्धविराम के चिह्न "," के पश्चात् "या" शब्द अंत:स्थापित किया जायेगा ;

(ii) खण्ड (घ) के अन्त में प्रकट होने वाले अर्धविराम के चिह्न और शब्द ", अथवा" के स्थान पर पूर्णविराम का चिह्न "।" प्रतिस्थापित किया जाए ; और

(iii) विद्यमान खण्ड (ङ) का लोप किया जाए।

धारा 9 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 में "प्रबन्ध निदेशक" शब्द के स्थान पर "अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक" शब्द रखे जायेंगे।

धारा 9-क का अन्त: स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 9-क अन्त:स्थापित की जाये, अर्थात :—

"9-क. उपाध्यक्ष के कर्त्तव्य—उपाध्यक्ष अधिनियम के अधीन उसे, समनुदेशित कर्त्तव्यों के अतिरिक्त ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो बोर्ड उसे समनुदेशित करे।"

धारा 12 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 12 में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आया है, "अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक" शब्द रखे जायेंगे।

धारा 13 और 14 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 13 और 14 में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आया है, "अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक" शब्द रखे जायेंगे और "अथवा प्रबन्ध निदेशक" शब्दों का, जहां कहीं भी वे आए हैं, लोप किया जायेगा।

धारा 20 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में "प्रबन्ध निदेशक" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आया है, "अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक" शब्द रखे जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 28 में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक" शब्द रखे जायेंगे और "प्रबन्ध निदेशक," शब्द और चिह्न का लोप किया जाए।

धारा 32 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में "अध्यक्ष," शब्द और चिह्न के स्थान पर "अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक और" शब्द रखे जायेंगे और "एवं प्रबन्ध निदेशक" शब्दों का लोप किया जाए।

13. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (2) में,— धारा 33 का संशोधन

(1) खण्ड (क) और खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात:—

"(क) अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उपाध्यक्ष और धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट निदेशक को देय वेतन और भत्ते ;

(ख) धारा 7 की उप-धारा (6) के अधीन सचिव एवम् मुख्य लेखा अधिकारी की नियुक्ति की शर्तें और निबन्धन, जिनके अन्तर्गत वेतन और भत्ते भी हैं ;"

(2) विद्यमान खण्ड (ग) का लोप किया जाए ; और

(3) खण्ड (ङ) में "प्रबन्ध निदेशक" शब्द के स्थान पर "अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक" शब्द रखे जायें तथा "प्रमाण-पत्र" शब्द के पूर्व "धारा 20 के अन्तर्गत" शब्द तथा अंक जोड़े जायें।

1981 का 16. 14. (1) हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के अधीन वैसे ही की गई समझी जायेगी मानो कि यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी।

1980 का 8 15. हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी निगम का अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक और सचिव एवम् मुख्य लेखा अधिकारी इस तथ्य के होते हुए कि मूल अधिनियम की धारा 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 28, 32 और 33 को संशोधित करने वाले हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1981 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को, राजभाषा में अधिनियमित नहीं किया गया था, विधिमान्य रूप से नियुक्त किये गये और सदैव ऐसे नियुक्त किए गए समझे जायेंगे, और उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसरण में की गई सभी नियुक्तियां और आदेश, जारी की गई अधिसूचनाएं और की गई कोई बात या कार्रवाई वैसे ही विधिमान्य रूप से की गई और जारी की गई समझी जायेगी मानो हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1984 की धारा 2 से 13 तक में अन्तर्विष्ट उपबन्ध उसी तारीख को अधिनियमित किए गए और प्रवृत्त किए गए थे जिस तारीख को ऐसी नियुक्ति या आदेश किए गए थे, अधिसूचना जारी की गई थी या बात या कार्रवाई की गई थी। विधिमान्यकरण ।

1981 का 16.

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Bhoot Purav Sainik Nigam (Sansodhan) Vidheyak, 1984, (1984 Ka Adhiniyam 13) as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Act No. 13 of 1984.

THE HIMACHAL PRADESH EX-SERVICEMEN CORPORATION (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1984

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation Act, 1979 (Act No. 8 of 1980) and to validate certain actions taken thereunder.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation (Amendment and Validation) Act, 1984.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 25th day of August, 1981.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation Act, 1979 (hereinafter called the principal Act),— 8 of 1980

(*a*) in clause (*d*) for the word "Chairman" wherever it occurs the words "Chairman-*cum*-Managing Director" shall be substituted; and

(*b*) clause (*i*) shall be omitted.

Amendment of section 6.

3. In sub-section (2) of section 6 of the principal Act after the words "question of policy" the words "and management" shall be inserted.

Amendment of section 7.

4. In section 7 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1),—

(*i*) for the word "Chairman" the words "Chairman-*cum*-Managing Director" shall be substituted;

(*ii*) the sign "," and words "the Managing Director" shall be omitted; and

(*iii*) for clause (*e*) the following clause (*e*) shall be substituted, namely:—

"(*e*) five other Directors to be nominated by the State Government, not less than three of whom may be ex-servicemen.";

(*b*) for the existing sub-sections (2) and (3) the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(2) The Chairman-*cum*-Managing Director shall be an ex-serviceman holding a Class I post while in service. The Vice-Chairman shall be a non-official person. The Chairman-*cum*-Managing Director and the Vice-Chairman shall be appointed

by the Government and shall hold office during the pleasure of the Government.

(3) The Directors referred to in clause (*e*) of sub-section (1) shall hold office during the pleasure of the Government.";

(*c*) the existing sub-sections (4) and (5) shall be omitted; and

(*d*) after sub-section (5) the following sub-section (6) shall be added, namely:—

"(6) The Board shall have a Secretary-*cum*-Chief Accounts Officer who shall be appointed by the Government on such terms and conditions as the Government may prescribe."

Amendment of section 8.

5. In sub-section (1) of section 8 of the principal Act,—

(*i*) after the sign ";" appearing at the end of clause (*c*) the word "or" shall be inserted;

(*ii*) for the sign and word "; or" appearing at the end of clause (*d*) the sign "." shall be substituted; and

(*iii*) the existing clause (*e*) shall be omitted.

Amendment of section 9.

6. In section 9 of the principal Act for the words "Managing Director" the words "Chairman-*cum*-Managing Director" shall be substituted.

Insertion of section 9-A.

7. After section 9 of the principal Act the following new section 9-A, shall be inserted, namely:—

"9-A. *Duties of the Vice-Chairman.*—The Vice-Chairman shall discharge such functions as the Board may assign to him in addition to the duties assigned to him under the Act."

Amendment of section 12.

8. In section 12 of the principal Act for the word "Chairman", wherever it occurs, the words "Chairman-*cum*-Managing Director" shall be substituted.

Amendment of sections 13 and 14.

9. In sections 13 and 14 of the principal Act the word "Chairman", wherever it occurs, the words "Chairman-*cum*-Managing Director" shall be substituted and the words "or the Managing Director", wherever occur, shall be omitted.

Amendment of section 20.

10. In section 20 of the principal Act for the words "Managing Director", wherever occur, the words "Chairman-*cum*-Managing Director" shall be substituted.

Amendment of section 28.

11. In section 28 of the principal Act for the word "Chairman", the words "Chairman-*cum*-Managing Director" shall be substituted and the words and sign "the Managing Director," shall be omitted.

Amendment of section 32.

12. In clause (*a*) of sub-section (2) of section 32 of the principal Act for the word and sign "Chairman," the words "Chairman-*cum*-Managing Director and" shall be substituted and the words "and the Managing Director" shall be omitted.

Amendment of section 33.

13. In sub-section (2) of section 33 of the principal Act,—

(*i*) for clause (*a*) and clause (*b*), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(*a*) the salary and allowances payable to the Chairman-*cum*-

Managing Director, the Vice-Chairman and the Director referred to in clause (*e*) of sub-section (1) of section 7;

(*b*) the terms and conditions of appointment, including salary and allowances of the Secretary-*cum*-Chief Accounts Officer under sub-section (6) of section 7;

(*ii*) the existing clause (*c*) shall be omitted; and

(*iii*) in clause (*e*) in between the words "certificate" and "shall", the words and figures "under section 20" shall be inserted and for the words "Managing Director" the words "Chairman-*cum*-Managing Director" shall be substituted.

Repeal and savings.

14. (*1*) The Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation (First
16 of 1981 Amendment) Act, 1981 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purporting to have been done or taken in exercise of any power conferred by or under the said Act, shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act was in force on the day when such thing was done or action was taken.

Validation

15. Notwithstanding anything to the contrary contained in the Himachal
8 of 1980 Pradesh Ex-Servicemen Corporation Act, 1979, the Chairman-*cum*-Managing Director and the Secretary-*cum*-Chief Accounts Officer of the Corporation shall be and shall always be deemed to have been validly appointed, irrespective of the fact that the provisions contained in the Himachal
16 of 1981 Pradesh Ex-Servicemen (First Amendment) Act, 1981 amending sections 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 28, 32 and 33 of the principal Act were not enacted in the official language and all appointments and orders made, notifications issued and action taken and acts done in pursuance of the aforesaid provisions shall be deemed to be and always to have been validly made, issued, taken or done as if the provisions as contained in sections 2 to 13 of this Act were enacted and were in force on the day on which such appointment or order was made, notification was issued, action was taken or acts were done.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।